(नियम 64 देखिए)

## लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

राजस्थान राज्य में 13-अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :—

श्री रघु शर्मा, 31—A—1, गीजगढ विहार, हवा सडक, सिविल लाईन्स, जयपुर

जो **इंडियन नेशनल काँग्रेस** द्वारा खड़े किए गए हैं उस सदन में

श्री सांवर लाल जाट की मृत्यु हो जाने के कारण उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

रथान :– अजमेर

दिनांक :- 01.02.2018

(गौरव गोयल)

रिटेनिंग अधिकारी 13 मुस्ति ने निर्वाचीन क्षेत्र

## Form 21D (See Rule 64)

## Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the House of the People from the (13) Ajmer Parliamentary Constituency in Rajasthan.

In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I Declare that:-

Shri Raghu Sharma 31-A-1, Geejgarh vihaar, Hawa Sadak, Civil Lines, Jaipur

Sponsored by **Indian National Congress** has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Sawar Lal Jat, from the above Constituency.

Place :- Ajmer

Date :- 01-02-2018

(Gaurav Goyal)

Ajmer Refurring Officer

13- Ajmer Parliamentary Constituency

13- Ajmer Parliamentary Constituency